न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 18/2023/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक : 11.08.2023
अन्तर्गत धारा : अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

रूपा आत्मज श्री देवीलाल जाति रेगर निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी हाल निवास रेगर मोहल्ला, भैंसरोड़गढ़, जिला चितौड़गढ़ राज0

....अपीलांट

बनाम

1. श्री गोपाल गौशाला समिति डाबी द्वारा अध्यक्ष प्रकाश राठौर आत्मज श्री भूरालाल जाति तेली निवासी ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी
2. श्री गोपाल गौशाला समिति डाबी द्वारा सचिव ओमप्रकाश जोशी आत्मज श्री मोडूलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डाबी, तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी
3. जिला कलक्टर, बून्दी

....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री राजकुमार गौतम, अभिभाषक –अपीलांट
श्री बृजमोहन गौतम, अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2
पेरोकार सरकार –रेस्पो0 क्र. 3

:: निर्णय ::

दिनांक 15.04.2025

अपीलांट के द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित आदेश संख्या 50 दिनांक 07.12.2004 के विरूद्ध धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने के साथ भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री गोपाल गौशाला समिति, डाबी द्वारा गौशाला निर्माण हेतु राजकीय सिवायचक भूमि खसरा सं0 3 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही सोयम वाके ग्राम छांट का खेड़ा, तहसील बून्दी का आवंटन किये जाने का अनुरोध किये जाने पर उक्त आवेदन पत्र के संबंध में ग्राम पंचायत, राजपुरा के प्रस्ताव/अनापत्ति एवं तहसीलदार बून्दी की जांच रिपोर्ट/राजस्व रिकोर्ड के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व (गौशालाओं को भूमि आवंटन) नियम, 1957 तथा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना संख्या प.6(10)राज–6/99/7 दिनांक 15.02.2001 के प्रावधान्तर्गत श्री गोपाल गौशाला समिति, डाबी को राजकीय सिवायचक भूमि

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

भूमि खसरा सं0 3 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही सोयम वाके ग्राम छांट का खेड़ा, तहसील बून्दी की भूमि अनुबंधों/शर्तों के अधीन आवंटन किये जाने का आदेश संख्या 50 दिनांक 07.12.2004 पारित किया गया।

2. न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित आदेश संख्या 50 दिनांक 07.12.2004 के विरूद्ध धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के साथ अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने के साथ भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई। प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आवंटन आदेश वस्तुस्थिति, विधान एवं प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटी की ओर से शर्तो की पालना नहीं की गई थी, किंतु आवंटन के 18 वर्ष से अधिक अवधि गुजर जाने के बावजूद भी आज तक आवंटित भूमि पर गौशाला स्थापित नहीं हुयी है और न हीं गौशाला के पशुओं के लिए घास चराई, पेड़ लगाने, चराई योग्य घास वाली पैदावार (रचका, सूड, ग्वार, मोठ) करने के लिए उपयोग में लायी जा रही है। आवंटित भूमि पर रेस्पो0 के द्वारा कोई गौशाला स्थापित नहीं की गई है और न ही इस भूमि पर कोई पशु रखे जाते हैं, इस कारण रेस्पो0 को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य हैं। आवंटित भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा नहीं है तथा भूमि आवंटन के पश्चात आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। आवंटित भूमि खसरा संख्या 3 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा ग्राम छांट का खेड़ा अपीलांट को भूमिहीन होने से दिनांक 24.11.1975 को आवंटित की गई थी तथा आवंटित भमि का कब्जा भी अपीलांट को सुपुर्द कर दिया गया था। राजस्व रिकोर्ड में उक्त भूमि अपीलांट के गैरखातेदारी में दर्ज कर दी गई थी तथा आवंटित भूमि पर निरंतर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 07.12.2004 की जानकारी पटवारी हल्का से होने पर नकल आदेश दिनांक 20.01.2023 को प्राप्त होने के उपरांत अपील पेश की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पो0 के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 07.12.2004 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट, अभिभाषक रेस्पो0 क्र 1, 2 एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि आवंटित भूमि पर रेस्पो0 के द्वारा कोई गौशाला स्थापित नहीं की गई है और न ही इस भूमि पर कोई पशु रखे जाते हैं तथा आवंटित भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा नहीं है। इस प्रकार भूमि आवंटन के पश्चात आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। तहसीलदार, तालेड़ा के द्वारा पत्रांक 2330 दिनांक 09.11.2022 से जिला कलक्टर, बून्दी को प्रेषित अनुसार वर्तमान में मौके पर गौशाला संचालित नहीं

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

होना तथा मौके पर उक्त भूमि के कुछ हिस्से पर चार दिवारी व मकान बना हुआ होना तथा शेष भूमि पर कृषि कार्य किया जाना रिपोर्ट में वर्णित किया गया है। आवंटित भूमि खसरा संख्या 3 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा ग्राम छांट का खेड़ा अपीलांट को भूमिहीन होने से दिनांक 24.11.1975 को आवंटित की गई थी तथा आवंटित भमि का कब्जा भी अपीलांट को सुपुर्द कर दिया गया था। राजस्व रिकोर्ड में उक्त भूमि अपीलांट के गैरखातेदारी में दर्ज कर दी गई थी तथा आवंटित भूमि पर निरंतर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पो0 के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 07.12.2004 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 के द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि यदि वर्ष 1975 में अपीलांट को आवंटन किया गया था, तो उक्त आवंटन खारिज किस प्रकार हुआ। इस संबंध में अपीलांट द्वारा अपने कथनों की पुष्टि हेतु कोई रिकोर्ड न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार आवंटित खसरा राजकीय रिकोर्ड में वर्ष 1994 से सिवायचक दर्ज रहा है, जिसे नियमानुसार आवंटन आदेश दिनांक 07.12.2004 से श्री गोपाल गौशाला समिति, डाबी को आवंटित की गई है। आवंटित भूमि पर श्री गोपाल गौशाला समिति डाबी द्वारा आवंटन के पश्चात् लगातार पशुधन हेतु चारा बोया जाकर उपयोग में लिया जा रहा है। आवंटन की शर्तो की पालना की जा रही है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित आदेश संख्या 50 दिनांक 07.12.2004 न्यायोचित है। श्री गोपाल गौशाला समिति डाबी द्वारा आवंटन के पश्चात् लगातार पशुधन हेतु चारा बोया जाकर उपयोग में लिया जा रहा है। आवंटन की शर्तो की पालना की जा रही है। परंतु वर्तमान में अतिक्रमी दलवीर पुत्र देवलाल चांदना निवासी श्योपुरिया की बावड़ी बून्दी द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। राजस्व रिकोर्ड में वर्ष 1994 से सिवायचक दर्ज रिकोर्ड चली आ रही है, जिसका नियमानुसार श्री गोपाल गौशाला समिति, डाबी को आवंटन आदेश दिनांक 07.12.2004 जारी किया गया। आवंटित खसरा सं0 3 से सटी हुई भूमि खसरा सं0 4 अपीलार्थी के नाम दर्ज होकर कब्जाकाश्त थी, जो अपीलार्थी के द्वारा अन्य व्यक्ति को दिनांक 23.11.2022 को विक्रय की गई। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को स्वतः ही यह संज्ञान मे था कि उसकी भूमि से सटी हुई खसरा सं0 3 श्री गोपाल गौशाला समिति डाबी को आवंटित की गई थी। इस प्रकार आवंटन का संज्ञान होने के भी लगभग 19 वर्ष बाद अपील पेश की गई है, जो अत्यधिक विलंब एवं देरी से पेश की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील क्लीन हेण्ड पेश नहीं की है। उक्त तथ्यों के आधार पर उक्त अपील में परिसीमा अवधि क्षमा योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

7. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों के संबंध में कथन किया गया कि आवंटन का संज्ञान होने के भी लगभग 19 वर्ष बाद अपील पेश की गई है, जो अत्यधिक विलंब एवं देरी से पेश की गई है। अपीलार्थी द्वारा अपील क्लीन हेण्ड पेश नहीं की है। उक्त तथ्यों के आधार पर उक्त अपील में परिसीमा अवधि क्षमा योग्य नहीं होने से खारिज की जावे। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की दृष्टि से प्रस्तुत प्रकरण में सारवान बिन्दु निहित होना प्रकट होने से इस स्टेज पर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब का क्षम्य करते हुए न्यायहित में अपील को गुणावगुण पर सुना जाना उचित प्रकट होता है।

8. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने के साथ पेश की गई है। प्रस्तुत अपील में प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी पेश कर कथन किया गया है कि अपील विषयक आराजी खसरा सं0 3 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा ग्राम छाट का खेड़ा प्रार्थी/अपीलांट को भूमिहीन होने से दिनांक 24.11.1975 को आवंटित की गई थी, आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से प्रार्थी/अपीलांट काबिज है। उक्त भूमि आवंटन दिनांक 07.12.2004 से गौशाला के नाम आवंटित की जा चुकी है, किंतु आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। इस प्रकार आवंटन आदेश दिनांक 07.12.2004 से प्रार्थी/अपीलांट व्यथित पक्षकार है। अतः प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर सुना जाने का अनुरोध किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायहित में प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित प्रकट होता है।

9. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर बहस उभयपक्षकारान सुनी जाकर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि श्री गोपाल गौशाला समिति, डाबी द्वारा गौशाला निर्माण हेतु राजकीय सिवायचक भूमि खसरा सं0 3 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही सोयम वाके ग्राम छांट का खेड़ा, तहसील बून्दी का आवंटन किये जाने का अनुरोध किये जाने पर उक्त आवेदन पत्र के संबंध में ग्राम पंचायत, राजपुरा के प्रस्ताव/अनापत्ति एवं तहसीलदार बून्दी की जांच रिपोर्ट/राजस्व रिकोर्ड के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व (गौशालाओं को भूमि आवंटन) नियम, 1957 तथा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर की अधिसूचना संख्या प.6(10)राज–6/99/7 दिनांक 15.02.2001 के प्रावधान्तर्गत श्री गोपाल गौशाला समिति, डाबी को राजकीय सिवायचक भूमि भूमि खसरा सं0 3 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा किस्म चाही सोयम वाके ग्राम छांट का खेड़ा, तहसील बून्दी की भूमि अनुबंधों/शर्तों के अधीन आवंटन किये जाने का आदेश संख्या 50 दिनांक 07.12.2004

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पारित किया गया। उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलांट का तर्क रहा है कि आवंटित भूमि पर रेस्पो0 के द्वारा कोई गौशाला स्थापित नहीं की गई है और न ही इस भूमि पर कोई पशु रखे जाते हैं तथा आवंटित भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा नहीं है, आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। आवंटित भूमि खसरा संख्या 3 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा ग्राम छांट का खेड़ा अपीलांट को भूमिहीन होने से दिनांक 24.11.1975 को आवंटित की गई थी तथा आवंटित भमि का कब्जा भी अपीलांट को सुपुर्द कर दिया गया था। राजस्व रिकोर्ड में उक्त भूमि अपीलांट के गैरखातेदारी में दर्ज कर दी गई थी तथा आवंटित भूमि पर निरंतर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण में रेस्पो0 पेरोकार की ओर से नायब तहसीलदार, उप तहसील डाबी, जिला बून्दी की ओर से प्रस्तुत जवाब में स्पष्ट किया गया है कि श्री गोपाल गौशाला समिति डाबी द्वारा आवंटन के पश्चात् लगातार पशुधन हेतु चारा बोया जाकर उपयोग में लिया जा रहा है। आवंटन की शर्तो की पालना की जा रही है। परंतु वर्तमान में अतिक्रमी दलवीर पुत्र देवलाल चांदना निवासी श्योपुरिया की बावड़ी बून्दी द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। राजस्व रिकोर्ड में वर्ष 1994 से सिवायचक दर्ज रिकोर्ड चली आ रही है, जिसका नियमानुसार श्री गोपाल गौशाला समिति, डाबी को आवंटन आदेश दिनांक 07.12.2004 जारी किया गया। साथ ही अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि आवंटित भूमि खसरा संख्या 3 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा ग्राम छांट का खेड़ा अपीलांट को भूमिहीन होने से दिनांक 24.11.1975 को आवंटित की गई थी तथा आवंटित भूमि का कब्जा भी अपीलांट को सुपुर्द कर दिया गया था। राजस्व रिकोर्ड में उक्त भूमि अपीलांट के गैरखातेदारी में दर्ज कर दी गई थी तथा आवंटित भूमि पर निरंतर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा अपने उक्त तर्क के समर्थन में भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दिनांक 24.11.1975 को अपीलांट को उक्त भूमि का आवंटन किया गया था, तो उक्त आवंटन को किस प्रकार से निरस्त/खारिज किया गया जबकि मुताबिक रिपोर्ट उक्त भूमि लगातार वर्ष 1994 से सिवायचक दर्ज रिकोर्ड चली आ रही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अपीलांट का किसी प्रकार से हित निहित नहीं होना प्रकट होता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

10. निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

15/4/25

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा